

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1286 -चार / 08

जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.5.14		
समय दोपहर 12.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	<i>Omrao</i> सदस्य
समय दोपहर 3.00 बजे	प्रकरण पुनः 3.00 बजे प्रस्तुत।	
शाम 5.00 बजे	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	<i>Omrao</i> सदस्य
	प्रकरण पुनः 5.00 बजे प्रस्तुत।	
	आवेदक के अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डे एवं आवेदक श्रीमती रामकली पुत्री स्व0 श्री भैयालाल ब्राह्मण पत्नी श्री नन्द कुमार तिवारी निवासी ग्राम नौवा तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 को आबाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं।	
	अतः म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अंतर्गत प्रकरण आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।	<i>R.Singh 15/5/14</i>
	(अशोक शिवहरू)	
	सदस्य	

स्त्री द्वारा देखा जाने वाले विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विशेषताएँ यह हैं कि विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विशेषताएँ यह हैं कि विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विशेषताएँ यह हैं कि विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।

जैसे कि विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं। --- अपनी विशेषताएँ हैं।

विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं।
विषयों के साथ अपनी विशेषताएँ हैं। --- अपनी विशेषताएँ हैं।